पत्रांक 2191/शा०

दिनांक 25.10.13

नगर निगम कार्यालय, मुंगेर

बन्दोबस्ती आम सूचना–2014–15

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि नगर निगम,मुंगेर क्षेत्रान्तर्गत सभी चौक– चौराहे, त्रिकोणीय पार्को आदि स्थलों पर वाणिज्यिक विज्ञापन प्रसारण से होडिंग शुल्क वसूली करने हेतु वित्तीय वर्ष2014–15 के दिनांक–01/04/2014 से 31/03/2015 तक (एक वर्ष) के लिए निम्नांकित आवश्यक शर्त्तो के तहत खुली डाक बन्दोबस्ती नगर निगम कार्यालय के सभाभवन में दिनांक– 02/ 12 /2013 को रखी गई है।

क्रमांक	परिसम्पति का विवरणी	वर्षिक सुरक्षित जमा राशि	जमानत की राशि	डाक की तिथि एवं समय
01	नगर निगम, मुंगेर क्षेत्रान्तर्गत सभी चौक– चौराहे, गोलम्बर, त्रिकोणीय पार्को आदि स्थलों पर होडिंग (वाणिज्यिक विज्ञापन प्रसारण) से शुल्क वसूली की डाक बन्दोबस्ती ।	1,36,290/–	34,073/–	02 / 12/2013 को अपराह्न 12:30 बजे से

आवश्यक शर्त्ते :–

1. डाक वक्ता को डाक में भाग लेने के पूर्व सुरक्षित जमा राशि का 25 प्रतिशत सुरक्षित राशि जमानत के रूप में नगर निगम कोष में जमा करना अनिवार्य होगा।
2. डाक वक्ता को डाक में भाग लेने के पूर्व अपना आवासीय प्रमाण–पत्र जिला पदाधिकारी/ अनुमण्डल पदाधिकारी/पैन कार्ड आदि की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति जमा करना अनिवार्य होगा एवं कम–से–कम एक निगम क्षेत्र के बैंकों के खाता धारक से पहचान कराना अनिवार्य होगा।
3. सफल डाक वक्ता की जमानत राशि डाक की बोली गई स्वीकृत राशि में समायोजित कर दिया जाएगा तथा शेष राशि स्वीकृत डाक वक्ता को डाक के तुरंत बाद एकमुश्त जमा करना अनिवार्य होगा। एवं असफल डाक वक्ताओं की जमानत राशि डाक के बाद वापस कर दी जाएगी।
4. होडिंग स्थल की सफाई एवं रख–रखाव की जिम्मेवारी बन्दोबस्तधारी की होगी एवं किसी तरह का हिंसा, अश्लीलता, धर्म विद्वेष, जाति सूचक, व्यक्ति सूचक से जुडे कोई भी विज्ञापन होडिंग द्वारा प्रकाशित नही किया जाएगा।
5. होडिंग आदि का आंधी–तुफान/ दुर्घटना आदि के पश्चात पुनः संधारण बन्दोबस्तधारी को करना अनिवार्य होगा तथा किसी तीसरे पक्ष को हुए नुकसान के लिए द्वारा घोषित निम्नतम मुआवजा देने की जबावदेही बन्दोबस्तधारी की होगी।
6. बन्दोबस्तधारी जिस कम्पनी /संस्था का विज्ञापन के लिए अनुबंध करेगा, उसकी सूचना नगर निगम कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।
7. बन्दोबस्तधारी को नगरपालिका अधिनियम 2007 की सुसंगत धारा की सभी कंडिकाओं का पालन करना अनिवार्य होगा।
8. किसी भी तरह के कानुनी विवाद का निपटारा निगम कार्यालय स्तर से ही मान्य होगा।
9. सरकार एवं चुनाव आयोग द्वारा विज्ञापन प्रसारण इस बन्दोबस्ती से मुक्त होगा एवं अद्योहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित होडिंग को अविलम्ब लगाना बन्दोबस्तधारी को अनिवार्य होगा।
10. इण्डियन स्टाम्प एक्ट के सिडूल–1A के अनुसार एकरारनामा का पंजीकरण स्वीकृत बन्दोबस्ती की राशि के 3 प्रतिशत मूल्य के स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा स्वीकृत बन्दोबस्तदार को करना अनिवार्य होगा।
11. अद्योहस्ताक्षरी का बिना कारण बताये किसी भी डाक को रद्द/ समाप्त करने या पुनः डाक कराने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

(हस्ताक्षर)

नगर आयुक्त

नगर निगम, मुंगेर।